

## बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 69

### फिर छिड़ी कारोबारी जंग

अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग की आग फिर भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से हाने वाले करीब 20,000 करोड़ डॉलर मूल्य के आयात पर शुल्क को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 10 फीसदी से 25 फीसदी में सैकड़ों करोड़ डॉलर की राशि जमा करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त 32,500 करोड़ डॉलर मूल्य के अतिरिक्त आयात पर भी जल्दी

ही शुल्क दर को बढ़ाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। ट्रंप लंबे समय से कहते रहे हैं कि चीन से होने वाले आयात पर शुल्क दर बहुत कम है। उन्होंने ट्रिट्र पर एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा कि अब चीन को इन दरों के बलते अमेरिकी राजकोष का तरीका हो लेकर भविष्य में विस्गति उत्पन्न होने की आशंका तो है। यह सही है।

यह शुल्क, आयात करने वाली कंपनियों द्वारा सीमा पर चुकाया जाता है। अधिकांश आर्थिक अध्ययन बताते हैं कि इसका ज्यादातर बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत के रूप में चुकाना पड़ रहा है या फिर अमेरिकी कंपनियां अपना मार्जिन कम करके इसकी भरपाई कर रही हैं। अभी यह निश्चित नहीं है कि ट्रंप अपनी चुनौती पर आगे कार्रवाई करेंगे या नहीं।

यद्यपि बाजार का मानना है कि कि चीन-अमेरिका के बीच कारोबारी युद्ध जल्द समाप्त नहीं होने वाला है। उसने इसे लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बहुत संभव है कि यह बात चीत की शर्तें तय कर करीब 10 फीसदी तक का ट्रंप का अनुचित लाभ न ले सके।

भारत के लिए यह जोखिम और अवसर दोनों साथ लाया है। अगर भारतीय नियरित चीन के गलत व्यवहार से प्रेरित तरीकों में किंतु अमेरिका में अब आम राजनीतिक समझ यही है कि चीन पर दबाव बनाया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर उसका रवैया बदले, खासतौर पर अमेरिका कंपनियों की बौद्धिक संपदा की चीजों को लेकर हाल के दिनों में काफी चिंता जताई गई है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एक ओर जहां ट्रेफिक का इस्तेमाल अमेरिका के सहयोगी और साझेदार मूल्कों में लोकप्रिय नहीं है, वहाँ कई देशों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि व्यापारिक व्यवस्था को और अधिक बाजारी वालों वाला होगा ताकि चीन इसका अनुचित लाभ न ले सके।

भारत के लिए यह जोखिम और अवसर दोनों साथ लाया है। अगर भारतीय नियरित चीन के गलत व्यवहार से प्रेरित तरीकों में किंतु अमेरिका में अब आम राजनीतिक समझ यही है कि भारत, जिसकी चीजों के साथ कारोबार को लेकर अपनी अलग दिक्कतें हैं, उसने न तो अमेरिका को संतुष्ट किया है और भारत को लेकर भी सज्ज रहना होगा। भरेरु मोबाइल विनिर्माण, ई-कॉमर्स पर कड़ाई, सरकारी सोसाइंस नियमन और डेटा का स्थानीय करण ऐसे ही सुन्दर हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा है कि भारत ने नियंत्रण अनुरोध के बाद भी प्रतिबंधात्मक व्यापार पर इसका नकारात्मक असर होगा, भले ही वह चीन से पांच गुना गोरीब है। इस मसले को हल करने के लिए तकलीफ व्यापारिक बूट्याने की आवश्यकता है। भारत इस नए माहौल का लाभ बढ़ाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमेरिका में बदलाव माहौल भारतीय नियरित करने के अवसर हैं। बोते कुछ वर्ष में इसकी भारी कमी महसूस की गई।



अजय मोहनली

## फंसे हुए कर्ज के समाधान के दिलचर्स्प मामले

इस हफ्ते कर्ज भुगतान में चूक करने वाली दो कंपनियों के दिवालिया समाधान के बारे में एनसीएलटी का फैसला आने की संभावना है। इससे अवगत करा रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

**भा**रत के दिवालिया समाधान कंपनी का नाम अधिकरण (एनसीएलटी) अगले कुछ दिनों में 6,113 करोड़ रुपये के भारी कर्ज से संबंधित दो मामलों का निपटारा कर सकता है। इन दोनों ही कंपनियों पर सबसे ज्यादा बाजार कर्ज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का है। पंजाब नैशनल बैंक, कैनरा बैंक और आध्रा बैंक दो इन कंपनियों को अच्छाखासा कर्ज दिया हुआ है।

इन दोनों कंपनियों का नाम वाणिज्यिक बैंकों को भेजी 28 लाख कर्ज कंपनियों की उस सूची में भी शामिल था जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर 2017 के अंत तक एनसीएलटी में ले जाने को कहा था। आरबीआई ने कहा था कि अगर दिसंबर 2017 के मध्य तक ये कंपनियों बाकाया कर्ज का भुगतान नहीं करती हैं तो फिर उन्हें एनसीएलटी कार्यालयी का सामान करना होगा। आरबीआई ने जून 2017 में 12 बड़ी चूककर्ता कंपनियों की पहली सूची जारी की थी जिनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया तकाल का शुरू की गयी थी। उन्होंने एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

इन दोनों कंपनियों का नाम वाणिज्यिक बैंकों को भेजी 28 लाख कर्ज कंपनियों की उस सूची में भी शामिल था जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर 2017 के अंत तक एनसीएलटी में ले जाने को कहा था। आरबीआई ने कहा था कि अगर दिसंबर 2017 के मध्य तक ये कंपनियों बाकाया कर्ज का भुगतान नहीं करती हैं तो फिर उन्हें एनसीएलटी कार्यालयी का सामान करना होगा। आरबीआई ने जून 2017 में 12 बड़ी चूककर्ता कंपनियों की पहली सूची जारी की थी जिनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया तकाल का शुरू की गयी थी। उन्होंने एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक कंपनी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। इसकी जानकारी एनसीएलटी के बारे में एक चैरियर नियोजित करता है। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिल।